महामहिम राष्ट्रपति
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली - 110004
फोन : 011-23013324, 23015321, 23014930
फैक्स - 011-23017290, 23017824
ई-मेल : secy.president@rb.nic.in

माननीय प्रधानमंत्री
भारत सरकार
साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल्स, नई दिल्ली - 110011
फोन : 011-23012312
फैक्स - 011-23019545 / 011-23016857
Web. : http://pmindia.nic.in

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
मानव अधिकार भवन, ब्लॉक सी
जी. पी. ओ. काम्प्लेक्स, आई. एन. ए., नई दिल्ली - 110023
फोन : 011-24651330, 919810298900
फैक्स - 011-24651329
ई-मेल : covdnhrc@nic.in, ionhrc@nic.in • Web. : http://nhrc.nic.in

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
5 वां तल, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली - 110003
फोन : 011-24615583, 24693302
फैक्स - 011-24698410
टोल फ्री हेल्प लाइन नं0 - 1800110088
ई-मेल : ro-ncm@nic.in • Web. : http://ncm.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग
4 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग
नई दिल्ली - 110002
फोन : 011-23237166, 23236988
फैक्स - 011-23236154
शिकायत कक्ष - 011-23219750
ई-मेल : ncw@nic.in, complaintcell-ncw@nic.in • Web. : http://ncw.nic.in

केन्द्रीय सूचना आयोग
R.No. 326, C- विंग, दूसरा तल
अगस्त क्रांति भवन, बिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066
फोन : 011-26161137, फैक्स - 011-26186536
शिकायत कक्ष - 011-23219750
Web. : cic.gov.in

केन्द्रीय चुनाव आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक मार्ग, नई दिल्ली - 110001
फोन : 011-23717391, फैक्स - 011-23713412
ई-मेल : feedbackeci@gmailcom • Web. : http://eci.nic.in

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
6 वां तल, बी विंग, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली - 110003
फोन : 011-24635721, 26119495, फैक्स - 011-2462462
ई-मेल : chairperson@ncst.nic.in • Web. : http://ncst.nic.in

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
त्रिकूट 1 भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066
फोन : 011-26189210, 26189211, फैक्स - 011-26183227
ई-मेल : cpioro-ncbc@nic.in • Web. : http://www.ncbc.nic.in

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
5 वां तल, बी विंग, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली - 110003
फोन : 011-24620435
टोल फ्री हेल्प लाइन नं0 - 18001800345, 1800118888
Web. : http://ncsc.nic.in

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC)
सतर्कता भवन ए ब्लॉक
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स, आई.एन.ए., नई दिल्ली - 110023
फोन : 011-24600200, फैक्स - 011-24651010
ई-मेल : cenvigil@nic.in
Web. : http://www.cvc.nic.in
यदि उत्तर प्रदेश में केन्द्र सरकार के विभाग,
सरकारी उपक्रम अथवा बैंक के कर्मचारी रिश्वत मांगे तो सम्पर्क करें :
SP (CBI Lucknow)
0522-2304941, 2304993 • **SMS** 9415012635

संयुक्त सचिव
मनरेगा (ग्रामीण विकास विभाग)
ग्रामीण विकास मन्त्रालय, भारत सरकार
कृषि भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नाई दिल्ली - 110001
फोन : 011-23385027, फैक्स - 011-23384703
राष्ट्रीय आंकड़ा जानने के लिए वेबसाइट : http://nrega.nic.in

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPRC)
5 वां तल, चन्द्रलोक भवन, 36 जनपथ, नई दिल्ली - 110001
फोन : 011-23724027, 23724028, 23724029, फैक्स - 011-23724026
ई-मेल : cp.ncpcr@nic.in, ncpcr.india@gmail.com
Web. : http://www.ncpcr.gov.in

मुख्य आयुक्त - विकलांग कल्याण आयोग
सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मन्त्रालय
सरोजिनी नगर, 6, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली - 110023
फोन : 011-23383907, फैक्स - 011-23386006
ई-मेल : ccpd@nic.in, secretaryda-msje@nic.in
Web. : http://ccdisabilities.nic.in

माननीय उच्चतम न्यायालय
द्वारा : रजिस्ट्रार, तिलक मार्ग, नई दिल्ली - 110201
फोन : 011-23388922-24, 23388942
फैक्स - 011-23381508, 23381584, 23384336
ई-मेल : supremecourt@nic.in • Web. : http://supremecourtofindia.nic.in

महामहिम राज्यपाल
राजभवन, लखनऊ - 226001
फोन : 0522-220494, 2236497, 2236498, फैक्स - 0522-2237444
ई-मेल : hgovup@up.nic.in • Web. : http://upgoverner.gov.in

माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
5 कालीदास मार्ग, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश
फोन : 0522-2235477, 2236181, 2239296, 2215501
ई-मेल : cmup@nic.in • Web. : http://upcmo.up.nic.in

लोकायुक्त - उत्तर प्रदेश
टी सी-46/वी-1, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ 226010, उत्तर प्रदेश
फोन : 0522-2305086, 2306160, फैक्स - 0522-2306647
ई-मेल : lokayuka@hotmail.com • Web. : http://lokayukta.up.nic.in

यदि उत्तर प्रदेश सरकार के विभाग, सरकारी उपक्रम,
विश्वविद्यालय आदि के कर्मचारी रिश्वत मांगे तो सम्पर्क करें :
उ.प्र.सतर्कता अधिष्ठान, टी.वी.सी. 44 विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ 226010, उत्तर प्रदेश
फोन : 0522-2304946, 2727951, फैक्स - 0522-2304937
Web. : http://vigilance.up.nic.in
इन्हें भी लिखा जा सकता है :
प्रमुख सचिव. सतर्कता विभाग, सचिवालय, लखनऊ - 226001

निदेशक, विकलांग कल्याण निदेशालय
इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ - 2266001
फोन : 0522-2287267, 2287089

राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश
615 ए, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ - 2266001
फोन : 0522-2288949 फैक्स - 0522-2288600
ई-मेल : sec.sic@up.nic.in, scic.up@up.nic.in
Web. : http://upsic.up.nic.in

राज्य चुनाव आयोग, उत्तर प्रदेश
32 स्टेशन मार्ग, लखनऊ - 2266001
फोन : 0522-2630130, फैक्स - 0522-2630115, 2630134
ई-मेल : secup32@gmail.com, secup@up.nic.in
Web.: http://sec.up.nic.in

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
सी 1 विक्रान्त खण्ड. शहीद पथ के निकट, गोमती खण्ड, लखनऊ - 2266010
फोन : 0522-2306655, फैक्स - 0522-2306645
Web. : http://scdre.up.nic.in

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग
तीसरा तल, राज्य मानवाधिकार भवन
टी.सी. - 34, वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010
फोन : 0522-2305870, फैक्स - 0522-2305870
टोल फ्री हेल्प लाइन नं0 - 1800-180-5220
ई-मेल : up.mahilaaayog@yahoo.com

राज्य अल्पसंख्यक आयोग - उत्तर प्रदेश
6 वां तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001
फोन : 0522-2287097, 2288710

राज्य अनुसूचित जाति जन जाति आयोग
सी 44 सेक्टर : एफ कपूरथला
अलीगंज, लखनऊ - 226024

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
10 वां तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001
ई-मेल : dirbcw@nic.in, dirbcw95@gmail.com

निदेशक - समाज कल्याण निदेशालय
प्रयाग नारायण मार्ग, कल्याण भवन, लखनऊ - 226001
फोन : 0522-2209259

उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग
राज्य मानवाधिकार भवन, टी.सी. - 34, वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ - 226001
फोन : 0522-2305801, 2305809 फैक्स - 0522-2305808
ई-मेल : uphrclko@yahoo.co.in

निदेशक - बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (ICDS)
तीसरा तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001
फोन : 0522-2287149 फैक्स - 0522-2287032

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, उ.प्र.
राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ 21, विधान सभा मार्ग, लखनऊ - 226001
फोन : 0522-2239526 फैक्स - 0522-6713412, 2235043
हेल्पलाइन नं0 - 1800-180-5999, 0522-4055999, 91-9793230999

शासनादेश के लिए वेबसाइट : http://rd.up.nic.in
आंकडे जानने के लिए वेबसाइट : http://mgnregaup.in
आनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट : http://mgnregaupsamvedan.in

मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उ.प्र.
तीसरी मंजिल, UPTRON भवन, गोमती नगर, लखनऊ - 226010
फोन : 0522-6666162, 6666163, 2308502 फैक्स - 0522-6666192
ई-मेल : lkomdm@gmail.com • Web. : upmdm.org

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश
तिलक मार्ग, लखनऊ - 2266001
फोन : 0522-2206104 फैक्स - 0522-2206120, 2206174
ई-मेल : dgpnet@hotmail.com • Web. : http://uppolice.up.nic.in

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
स्वास्थ्य निदेशालय, चौथा तल, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ - 226006
फोन : 0522-2622625 फैक्स - 0522-2623980
ई-मेल : dgmed@up.nic.in, monitoringcell.dgmh@gmail.com
Web. : http://uphealth.up.nic.in

उत्तर प्रदेश में बैंक से सम्बंधित मामलों के लिये :
बैंकिंग लोकपाल
द्वारा : भारतीय रिजर्व बैंक, महात्मा गांधी मार्ग, पो0 बाक्स-82, कानपुर - 208001
फोन : 0512-2306278, 2306330 फैक्स - 0512-2305938

भारतीय स्टेट बैंक से सम्बंधित मामलो में :
टोल फ्री नम्बर : 18004253800 / 1800112211
or SMS "UNHAPPY" to 8008202020

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA)
तृतीय मंजिल, परिश्रम भवन, बशीर बाग, हैदराबाद-500004, आन्ध्रप्रदेश
फोन : 040-23381100 फैक्स - 040-66823334 टोल फ्री - 155255
ई-मेल : complaint@irda.gov.in • Web. : http://irda.gov.in

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI)
महानगर दूरसंचार भवन, जाकिर हुसैन कालेज के निकट
जवाहरलाल नेहरू मार्ग (पुराना मिन्टो रोड), नई दिल्ली - 110002
फोन : 011-23236308, 23233466 फैक्स - 011-23213294
ई-मेल : ap@trai.gov.in • Web. : http://trai.gov.in

सचिव - भारतीय प्रेस परिषद
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
फोन : 011-24366405, 24366404, 23466747
ई-मेल : pcibpp@gmail.com, pcimeetings@gmail.com
Web. : http://presscouncil.nic.in

-: नोट :-

इस पत्रक को आम जनता के लिये इस उद्देश्य के साथ तैयार किया गया है कि दैनिक जीवन में आवश्यकता पड़ने वाले विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों का पता और सम्पर्क नम्बर आसानी से सुलभ हो सके। उपरोक्त सूचनायें विभिन्न स्रोतों से एकत्र की गयी हैं तथा यथासम्भव कोशिश की गयी है कि समुचित एवं जानकारी मिल सके किन्तु सूचनाओं मे अन्तर होने की कुछ सम्भावना हो सकती है।

सौजन्य से:
"आशा ट्रस्ट"

ग्राम-भन्दहांकला, पो.-कैथी, वाराणसी - 221116
फोन : 0542-2618201, 2618401, 9415256848
E-mail : ashakashi@gmail.com

महत्वपूर्ण हेल्प-लाइन नम्बर

1.	जननी सुरक्षा योजना (एन.आर.एच.एम.)	1800-180-1900 (Toll Free)
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.)	1800-180-5999 (Toll Free)
3.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश (कानूनी सलाह)	1800-419-0264 (Toll Free)
4.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) (शिकायत एवं जानकारी)	1800-180-0150 (Toll Free)
5.	आपातकालीन चिकित्सकीय परिवहन सुविधा (एम्बुलेंस, निःशुल्क 25 कि.मी. तक)	108 (Toll Free)
6.	चाइल्ड लाइन (0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की सहयता हेतु)	1908 (Toll Free)
7.	मिड डे मील (एम.डी.एम)	1800-4190-102 (Toll Free)
8.	आंगनबाड़ी मॉनिटरिंग (सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक)	1800-180-5599 (Toll Free)
9.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आइ.एस.बी.वाई.)	1800-1800-4444 (Toll Free)
10.	स्वास्थ्य सम्बंधी शिकायत (सरकारी अस्पताल)	1800-180-5145 (Toll Free)
11.	किसान कॉल सेंटर	1800-180-1551 (Toll Free)
12.	पशु पालन (डेयरी व्यवसाय के लिए ब्याज मुक्त ऋण)	1800-180-5141 (Toll Free)
13.	मतदान / चुनाव / निर्वाचन सम्बंधी जानकारी	1800-180-1950 (Toll Free)
14.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	1800-1100-88 (Toll Free)
15.	अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग	1800-1800-345 (Toll Free)
16.	राज्य महिला आयोग, उत्तर प्रदेश	1800-180-5220 (Toll Free) 0522-2305870
17.	विमेन पावर लाइन	1090
18.	राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश	0522-2288949/2288749
19.	लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश	0522-2305086
20.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली	011-23237166/23236988
21.	राज्य मानवाधिकार आयोग, लखनऊ	0522-2305804
22.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली	011-2465330 (Help line no.)
23.	एंटी रैगिंग हेल्पलाइन	1800-180-5522
24.	वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन	1800-180-1253
25.	पुलिस	100
26.	फायर	101
27.	रेलवे	139
28.	सड़क दुर्घटना	1073
29.	जागो ग्राहक जागो	1800-011-4000 011-27006500
30.	IOC (Indane Gas)	1800-1333-555

उ.प्र. जनहित गारण्टी अधिनियम 2011

क्या आप जानते हैं कि :

- उ.प्र. सरकार ने राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवायें प्रदान करने के लिए 15 जनवरी 2011 को उ.प्र. जनहित गारण्टी अध्यादेश जारी किया।
- विधान मण्डल द्वारा पारित होकर माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा 3 मई 2011 को उ.प्र. जनहित गारण्टी अधिनियम 2011 प्रदेश में लागू किया गया है।
- इस अधिनियम के अन्तर्गत 4 विभागों की 13 सेवाओं को शामिल किया गया है।ये विभाग हैं राजस्व, खाद्य एवं रसद, नगर विकास और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य।
- इस अधिनियम के अन्तर्गत व्यवस्था दी गयी है कि उक्त सेवायें आवेदन के निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी।
- इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली सेवाओं को प्रदान करने हेतु इन विभागों में सक्षम अधिकारी नामित किये हैं, जो आवेदन को स्वीकार करने की व्यवस्था करेंगे।
- इस व्यवस्था के अनुसार आवेदन स्वीकार कराये जाने के निश्चित समय के अन्दर स्वीकृति दी जायेगी अथवा कारण बताते हुए लिखित अस्वीकृति की सूचना आवेदक को दी जायेगी।
- यदि निश्चित समय सीमा के अन्दर सेवा उपलब्ध नहीं करायी जाती है अथवा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है तो इसकी प्रथम अपील, नामित प्रथम अधिकारी के समक्ष 30 दिन के भीतर की जा सकेगी।
- प्रथम अपील का निस्तारण भी निश्चित समय सीमा के अन्दर ही किया जायेगा।
- प्रथम अपील अधिकारी, सम्बन्धित अधिकारी को आवेदन पर वांछित सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश दे सकेगा अथवा अपील को अस्वीकार कर सकता है।
- प्रथम अपील अधिकारी के आदेश एवं उसके स्तर पर भी निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्यवाही न किये जाने के विरुद्ध द्वितीय अपील, विभाग के द्वितीय अपील अधिकारी के समक्ष 60 दिन के भीतर की जा सकेगी।
- द्वितीय अपील अधिकारी, सम्बन्धित अधिकारी को आवेदन पर वांछित सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश दे सकेगा अथवा अपील को अस्वीकार कर सकता है।
- यदि विभागीय नामित अधिकारी के स्तर पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है तो द्वितीय अपील अधिकारी उक्त नामित अधिकारी के विरुद्ध रुपये 500 से 5000 तक दण्ड लगा सकता है।
- यदि विभागीय नामित अधिकारी के स्तर पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है अथवा अकारण विलम्ब किया जाता है तो द्वितीय अपील अधिकारी उक्त नामित अधिकारी के विरुद्ध प्रतिदिन रुपये 250 का दण्ड लगा सकता है जो अधिकतम रुपये 5000 तक होगा। साथ ही विभागीय दण्डात्मक कार्यवाही की संस्तुति भी की जा सकती है।
- द्वितीय अपील अधिकारी द्वारा इसी प्रकार का दण्ड प्रथम अपील अधिकारी के विरुद्ध भी लगाया जा सकता है। साथ ही विभागीय दण्डात्मक कार्यवाही की संस्तुति भी की जा सकती है।
- द्वितीय अपील अधिकारी मामले की गम्भीरता के आधार पर आवेदक को क्षतिपूर्ति दिये जाने का भी आदेश कर सकता है यह धनराशि अधिकारी पर लगाये गये दण्ड की धनराशि से अधिक नहीं होगी।
- अपील पर विचार करते समय प्रथम अपील अधिकारी एवं द्वितीय अपील अधिकारी के पास सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुरूप सिविल न्यायालय के बराबर की शक्तियां होंगी।

अब समय सीमा के भीतर उक्त सेवायें पाना आपका अधिकार है इस अधिकार का प्रयोग करें एवं अनावश्यक परेशानी, घूसखोरी एवं अनियमितता से बचें।

इसके लिये क्या करें :

1. वांछित सेवाओं के लिए समय रहते ही आवेदन करें एवं पावती अवश्य प्राप्त करें।
2. आवेदन पत्र के साथ वांछित समस्त आवश्यक प्रपत्र भलीभांति जांचकर संलग्न करें।
3. उक्त सेवायें प्राप्त करने हेतु दलाल या बिचौलियों के चक्कर में न पड़ें।
4. निर्धारित समय सीमा के पूर्व अनियमित तरीके से सेवा प्राप्त करने की प्रवृत्ति से बचें।
5. जाति, आय और निवास प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर उसका सत्यापन बेबसाइट http://bor.up.nic.in पर भी अवश्य कर लें और किसी अनियमितता की शिकायत तत्काल करें।
6. असुविधा होने पर सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों से शिकायत करें, अधिनियम के अनुसार अपील करें और आवश्यक हो तो सूचना के अधिकार के तहत भी आवेदन करें तथा भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की मुहिम में भागीदार बनें।

सूचना का अधिकार अभियान उ.प्र. एवं आशा परिवार द्वारा जनहित में जारी

सौजन्य से : आशा ट्रस्ट, भन्दहांकला, कैथी, वाराणसी - 221116, फोन : 0542-2618201, 2618301, 9415256848

उ0प्र जनहित गारण्टी अधिनियम 2011
में उल्लिखित सेवाओ की सूची

क्रम संख्या	सेवाएं	विभाग का नाम	पदाभिहित अधिकारी	सेवाओ के लिए नियत समय सीमा	प्रथम अपील अधिकारी	प्रथम अपील के निस्तारित होने की नियत सीमा	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राजस्व	जाति प्रमाण पत्र	तहसीलदार	20 कार्य दिवस	उप जिलाधिकारी	30 कार्य दिवस	जिलाधिकारी
		आय प्रमाण पत्र	तहसीलदार	20 कार्य दिवस	उप जिलाधिकारी	30 कार्य दिवस	जिलाधिकारी
		निवास प्रमाण - पत्र	उप जिलाधिकारी	20 कार्य दिवस	जिलाधिकारी	30 कार्य दिवस	मण्डलायुक्त
		भूमि का अविवादित नामान्तरण	तहसीलदार	45 कार्य दिवस	उप जिलाधिकारी	30 कार्य दिवस	जिलाधिकारी
		किसान बही (मूल)	तहसीलदार	20 कार्य दिवस	उप जिलाधिकारी	30 कार्य दिवस	जिलाधिकारी
		किसान बही (डुप्लीकेट कापी)	तहसीलदार	30 कार्य दिवस	उप जिलाधिकारी	30 कार्य दिवस	जिलाधिकारी
2	नगर विकास	नगर निगम क्षेत्र में सम्पत्ति का अविवादित नामानतरण	नगर निगम क्षेत्र का जोनल अधिकारी	45 कार्य दिवस (नामान्तरण शुल्क जमा करने की तिथि से)	नगर आयुक्त	45 कार्य दिवस	मण्डलायुक्त
		नगर निगम क्षेत्र में (जहा तकनीकी रूप से सम्भव हो।) नवीन जल आपूर्ति संयोजन	नगर निगम क्षेत्र का क्षेत्रीय जलकल अभियंता	30 कार्य दिवस	महाप्रबंधक जलकल	30 कार्य दिवस	नगर आयुक्त
		नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र	नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत का अधिशासी अधिकारी	45 कार्य दिवस	उप जिलाधिकारी	30 कार्य दिवस	जिलाधिकारी
		नगर निगम क्षेत्र में जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र	नगर निगम क्षेत्र का जोनल अधिकारी/जोनल स्वास्थ्य अधिकारी	45 कार्य दिवस	अपर नगर आयुक्त	30 कार्य दिवस	नगर आयुक्त
3	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	विकलांगकता प्रमाण पत्र	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	60 कार्य दिवस	मण्डलीय अपर निदेशक	90 कार्य दिवस	मण्डलायुक्त
4	खाद्य एवं रसद	नया ए0पी0एल0 राशन कार्ड जारी करना (नगरीय क्षेत्र)	क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी / जलापूर्ति अधिकारी	30 कार्य दिवस	जिलाधिकारी	30 कार्य दिवस	जिलाधिकारी
		नया ए0पी0एल0 राशन कार्ड जारी करना (ग्रामीण क्षेत्र)	खण्ड विकास अधिकारी	30 कार्य दिवस	उप जिलाधिकारी	30 कार्य दिवस	जिलाधिकारी

जननी सुरक्षा योजना एवं टीकाकरण

हर 15 मिनट में बच्चे के जन्म के समय एक माँ की मृत्यु हो जाती है।

सरकार द्वारा मातृ मृत्यु-शिशु मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से ''जननी सुरक्षा योजना'' शुरु की गई है, इस योजना के अन्तर्गत अस्पताल में प्रसव होने पर महिलाओं को नगद सहायता राशि दी जाती है। जिसे वे अपनी देखभाल पर खर्च कर सकती हैं।

बच्चे का जन्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान कभी भी खतरा हो सकता है, इसलिए गर्भावस्था में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए -

- गर्भावस्था का पता चलते ही ए.एन.एम. या स्वास्थ्य केन्द्र जाकर पंजीकरण करवाएं जिससे नियमित जांच एवं टीकाकरण हो सके।
- गर्भ का पता चलते ही एक माह के अन्तर पर टिटनेस के दो टीके अवश्य लगवाएं।
- गर्भ के दौरान नियमित तीन जांच कराएं। इन जांचों के दौरान महिला के वजन, ब्लड प्रेशर, खून एवं पेशाब तथा गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास की जांच की जाती है।
- गर्भवती महिला, खून की कमी से बचने के लिए आयरन या फोलिक एसिड की 100 गोलियाँ अवश्य खाए।
- संतुलित और पोषक आहार जैसे अनाज, दाल, हरी सब्जियाँ, दूध, मछली, माँस आदि प्रचुर मात्रा में दिन में तीन या चार बार लेना चाहिए।
- भारी वजन न उठाएं एवं दिन में थोड़ी देर आराम करें।
- गर्भावस्था में कोई भी दवा डॉक्टर या ए.एन.एम. की सलाह के बगैर न लें, क्योंकि इन दवाओं का माँ या बच्चे पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

(यह सभी सुविधाएं निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या ए.एन.एम. के यहाँ निःशुल्क उपलब्ध है।)

प्रसव हमेशा स्वास्थ्य केन्द्र या अस्पताल में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा ही कराएँ क्योंकि प्रसव में किसी भी समय कोई भी परेशानी पैदा हो सकती है।

- जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र या अस्पताल में प्रसव कराने पर ग्रामीण क्षेत्र में रु.1400/- एवं शहरी क्षेत्रों में रु. 1000/- प्रोत्साहन राशि प्रसूता महिला को दी जाती है।
- घरेलू प्रसव की स्थिति में बी.पी.एल. कार्ड धारक परिवारों को 2 बच्चों के जन्म तक 500 रु. चेक द्वारा मिलेगा।
- ग्रामीण क्षेत्रो में प्रसव के लिए स्वास्थ्य केन्द्र तक आने-जाने के लिए '108 एम्बुलेन्स' सेवा निःशुल्क उपलब्ध होगी। अस्पताल में गर्भवती महिला एवं आशा बहू को साथ रहने पर भोजन उपलब्ध कराया जायेगा।
- यदि किसी कारणवश प्रसव घर में कराना पड़े तो पाँच सफाई का ध्यान रखें (साफ एवं रोशनी वाला कमरा, साफ हाथ, नया साफ ब्लेड, साफ धागा और नवजात की नाल पर कुछ न लगाना)।

टीकाकरण कार्यक्रम सरकार द्वारा बच्चों को दी जाने वाली पूर्णतया निःशुल्क सुविधा है यह बच्चों हो छः जानलेवा बीमारियों से बचाता है।

"टीकाकरण चार्ट"

उम्र / अवस्था	टीकों के नाम	किस रोग से बचाव मिलता है	कैसे, कहाँ दिया जाय
गर्भ का पता चलते ही	टिटनेस टॉक्साइड, फोलिक एसिड, आयरन की गोली	टिटनेस, खून की कमी	2 टीका (हर एक माह बाद), 100 गोली आयरन (1 गोली रोज)
जन्म के समय (प्रथम सम्पर्क खुराक)	बी. सी. जी. पोलियो पहला खुराक (शून्य माह)	टी.बी. पोलियो (बाल पक्षाघात)	बाँये कंधे पर, मुँह द्वारा
6 सप्ताह या (डेढ़ माह) पर	प्रथम खुराक डी.पी.टी. और पोलियो	डिप्थेरिया, टिटनस	कूल्हे पर इंजेक्शन
10 सप्ताह या (ढ़ाई माह) पर	दूसरी खुराक डी.पी.टी. और पोलियो	काली खांसी और पोलियो	इंजेक्शन और पोलियो की बूँद, मुँह द्वारा
14 सप्ताह या (साढ़े तीन माह) पर	तीसरी खुराक डी.पी.टी. और पोलियो	काली खांसी और पोलियो	पोलियो की बूँद, मुँह द्वारा
9 माह	खसरा	खसरा, विटामिन-ए की 1 खुराक	कूल्हे पर इंजेक्शन, मुँह द्वारा
16 माह	डी.टी.पी. बूस्टर टीका, विटामिन-ए 2, पोलियो	पोलियो, डिप्थेरिया, टिटनस और काली खाँसी	कूल्हे पर डीटीपी का इंजेक्शन पोलियो व विटामिन-ए बूँद
24 माह	विटामिन-ए की 3 खुराक	रतौंधी	मुँह द्वारा
30 माह	विटामिन-ए की 4 खुराक	रतौंधी	मुँह द्वारा
36 माह	विटामिन-ए की 5 खुराक	रतौंधी	मुँह द्वारा
5 वर्ष	डी.टी.पी. एवं पोलियो बूस्टर	डिप्थेरिया, टिटनस, पोलियो	कूल्हे पर इंजेक्शन

- **यदि बच्चे को ठीक समय पर टीका नहीं लग पाए तो, जितना जल्दी सम्भव हो टीके लगवाना प्रारम्भ करें तथा एक वर्ष तक प्राथमिक प्रतिरक्षण पूरा करें।**
- **यह सभी सुविधाएं निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर निःशुल्क उपलब्ध है।**
- **टीकाकरण जच्चा-बच्चा रक्षा कार्ड ए.एन.एम. बहन जी से निःशुल्क बनवायें, यह सुविधा पूरी तरह निःशुल्क है, टीकाकरण के समय हर बार अपना जच्चा-बच्चा रक्षा कार्ड ले जायें, हर टीका लगने के बाद कार्ड में टीकाकरण तिथि दर्ज करवायें।**

जन्म के एक घण्टे के अन्दर स्तनपान देता है नवजात को रोगों से निदान

छः माह तक बच्चे को केवल माँ के दूध के अलावा कोई भी ऊपरी पदार्थ जैसे पानी, घुट्टी, शहद आदि नहीं देना चाहिए।

1. माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध जिसे खीस (कोलोस्ट्राम) कहते हैं, शिशु को अवश्य पिलाना चाहिए, यह शिशु को रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है। माँ के दूध में बच्चे के लिए आवश्यक सभी तत्व होते हैं, यह बच्चे को दस्त, निमोनिया से बचाता है और बच्चों का वजन ठीक से बढ़ाता है।
2. एक बार में बच्चा पूरी तरह से दूध नहीं पी पाता है इसलिए दिन और रात में कई बार स्तनपान कराने की आवश्यकता होती है। स्तनपान कराने का अन्तराल 3 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्तनपान के उपरान्त बच्चे को हमेशा डकार दिलाने के बाद करवट लिटाना चाहिए।
3. स्तनपान कराने के लिए महिला सीधे गोद में लेकर बच्चे के पूरे शरीर को हाथ से सहारा देना चाहिए।
4. बच्चे के जन्म के एक घंटे के अन्दर स्तनपान शिशु के लिए लाभकारी है। स्तनपान से माँ का गर्भाशय जल्दी सिकुड़ता है तथा बार-बार दूध पिलाने से ज्यादा दूध उतरता है।
5. ठीक तरह से स्तनपान कराने वाली महिला को शुरु के 6 महीने में गर्भधारण की सम्भावना कम होती हैं यह एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक का काम करता है।

सौजन्य से : "आशा ट्रस्ट", ग्राम-भन्दहांकला, पो.-कैथी, वाराणसी, फोन : 0542-2618201, 2618401, 9415256848
E-mail : ashakashi@gmail.com

13	पशुधन विभाग	1	1.स्वयं सेवी संस्थाओं (NGO) द्वारा संचालित गोशालाओं का पंजीकरण पर निर्णय	7 Days	30 Days	15 Days
14	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	8	(i) आवासीय भवन मानचित्र की स्वीकृति पर निर्णय			
			(1)Group Gousing	90 Days	30 Days	15 Days
			(2) एकल भवन	30 Days	30 Days	30 Days
			(ii) गैर सम्पत्तियों के नामान्तरण पर निर्णय	90 Days	30 Days	15 Days
			(iii) सम्पत्तियों के नामान्तरण पर निर्णय	60 Days	30 Days	15 Days
			(iv) सम्पत्तियों के निबन्धन पर निर्णय	15 Days	30 Days	15 Days
			(v) आवन्टी की जमा धनराशि की वापसी पर निर्णय	10 Days	15 Days	15 Days
			(vi) भवनों के शमन पर निर्णय	60 Days	30 Days	15 Days
			(vii) भूखण्ड/भवन को फ्रीहोल्ड किये जाने पर निर्णय (नजूल भूमि को छोड़कर)	15 Days	15 Days	15 Days
			(viii) आदेशों की नकल प्राप्त करने पर निर्णय	7 Days	7 Days	7 Days
15	कृषि विभाग	4	(i) उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र जारी किये जाने पर निर्णय	30 Days	30 Days	15 Days
			(ii) बीज विक्रय प्राधिकारी पत्र जारी किये जाने पर निर्णय	30 Days	30 Days	15 Days
			(iii) कृषि रक्षा रसायन लाइसेंस प्रपत्र जारी किये जाने पर निर्णय	30 Days	30 Days	15 Days
			(iv) मृदा परीक्षण का परिणाम देने पर पर निर्णय	45 Days	30 Days	15 Days
16	प्राविधिक शिक्षा	5	(i) सरकार से सहायता प्राप्त पालीटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को देय पेंशन/ ग्रेच्युटी व अन्य देयों के भुगतान पर निर्णय	60 Days	30 Days	30 Days
			(ii) सरकार से सहायता प्राप्त पालीटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को देय सामान्य भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान पर निर्णय	30 Days	30 Days	15 Days
			(iii) पालीटेक्निक संस्थाओं के अध्ययनरत अन्तिम वर्ष में उत्तीर्ण छात्रों को डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने पर निर्णय	90 Days	30 Days	15 Days
			(iv) छात्रों की काशन मनी / सिक्योरिटी मनी वापस किये जाने पर निर्णय	30 Days	30 Days	15 Days
			(v) छात्रों के बैक पेपर की घोषणा पर निर्णय	60 Days	30 Days	15 Days
17	ग्राम्य विकास विभाग	1	1. अकुशल मजदूरों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराये जाने पर निर्णय	15 Days	7 Days	7 Days
18	दुग्ध विकास विभाग	1	दुग्ध समितियों के रजिस्ट्रेशन पर निर्णय	90 Days	30 Days	15 Days
19	उद्यान विभाग	5	(i) उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम 1976 के अधीन निजी क्षेत्रों में स्थापित फल पौधशालाओं के पंजीकरण पर निर्णय	45 Days	15 Days	15 Days
			(ii) पंजीकृत किये गये पौधशालाओं के नवीनीकरण पर निर्णय	25 Days	25 Days	15 Days
			(iii) उ.प्र. कोल्डस्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 के अधीन शीतगृहों के निर्माण की अनुज्ञा जारी करने पर निर्णय	25 Days	25 Days	15 Days
			(iv) शीतगृहों के लाइसेंस जारी करने पर निर्णय	25 Days	25 Days	15 Days
			(v) शीतगृहों के लाइसेंस के नवीनीकरण पर निर्णय	12 Days	25 Days	15 Days
20	चिकित्सा शिक्षा विभाग	4	(i) चिकित्सा प्रमाण पत्र (एलोपैथिक पद्धति) जारी करने पर निर्णय	7 Days	15 Days	15 Days
			(ii) चिकित्सा प्रमाण पत्र आयुर्वेद पद्धति जारी करने पर निर्णय	7 Days	15 Days	15 Days
			(iii) चिकित्सा प्रमाण पत्र होम्योपैथिक पद्धति जारी करने पर निर्णय	7 Days	15 Days	15 Days
			(iv) चिकित्सकों के पंजीकरण पर निर्णय	15 Days	15 Days	15 Days
21	वन विभाग	2	(i) कृषकों की निजी भूमि के वृक्षों के पातन की अनुज्ञा जारी करने पर निर्णय	15 Days	15 Days	15 Days
			(ii) वन उपजों के अभिवहन सम्बन्धी पास जारी करने पर निर्णय	15 Days	15 Days	15 Days
22	खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग	2	(i) बैंकों से आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्रों का प्रेषण (मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना) पर निर्णय	15 Days	7 Days	7 Days
			(ii) ब्याज उत्पादन अनुदान का लाभ मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना पर निर्णय	15 Days	7 Days	7 Days
23	उच्च शिक्षा विभाग	04	(i) प्रदेश के शैक्षिक संस्थाओं के प्रमाण–पत्रों एवं उपाधियों के सत्यापन पर निर्णय	2 Days	2 Days	2 Days
			(ii) विश्वविद्यालयों में परीक्षाफल घोषित होने के उपरांत अंक पत्र दिये जाने पर निर्णय	45 Days	30 Days	15 Days
			(iii) नये महाविद्यालयों को खोलने के संबंध में अनापत्ति जारी करने के पूर्व जिला प्रशासन की आख्या प्रेषित करने पर निर्णय	30 Days	30 Days	15 Days
			(iv) विद्यार्थियों को राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रमाण–पत्रों के वितरण पर निर्णय	30 Days	15 Days	15 Days
24	वाणिज्य कर विभाग	07	(i) पंजीयन प्रमाण–पत्र की डुप्लीकेट प्रति जारी किये जाने पर निर्णय	15 Days	15 Days	15 Days
			(ii) पंजीयन प्रमाण–पत्र के संशोधन किये जाने पर निर्णय	30 Days	15 Days	15 Days
			(iii) वैट नियमावली / प्रवेशकर नियमावली / केन्द्रीय बिक्रीकर नियमावली में निर्धारित फार्मों को जारी किये जाने पर निर्णय	7 Days	7 Days	7 Days
			(iv) अदेयता प्रमाण–पत्रों के जारी किये जाने पर निर्णय	7 Days	7 Days	7 Days
			(v) पंजीयन प्रार्थना–पत्र के निस्तारण पर निर्णय	30 Days	30 Days	15 Days
			(vi) निर्यातकों के प्रोविजनल रिफण्ड के प्रार्थना –पत्र के निस्तारण पर निर्णय	30 Days	30 Days	15 Days
			(vii) कर निर्धारण आदेश / अपीलीय आदेश से सृजित रिफण्ड के निस्तारण पर निर्णय	30 Days	30 Days	15 Days
25	मनोरंजन कर विभाग	07	(i) उ.प्र. चलचित्र नियमावली 1951 के नियम 3 के अंतर्गत प्रस्तावित सिनेमा स्थल के अनुमोदन / सिनेमा भवन के निर्माण की अनुमति पर निर्णय	90 Days	30 Days	30 Days
			(ii) उ.प्र. चलचित्र नियमावली, 1951 के नियम 9 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करना एवं नवीनीकृत करने पर निर्णय	45 Days	30 Days	30 Days
			(iii) उ.प्र. चलचित्र नियमावली, 1951 के नियम 27(1) / 27(2) के अन्तर्गत अस्थायी सिनेमा का लाइसेंस दिये जाने पर निर्णय	15 Days	30 Days	30 Days
			(iv) उ.प्र. चलचित्र वीडियो द्वारा प्रदर्शन नियमावली 1988 के नियम 12 के अंतर्गत स्थायी वीडियो सिनेमा को लाइसेंस प्रदान करना / नवीनीकृत करने पर निर्णय।	30 Days	30 Days	30 Days
			(v) उ.प्र. चलचित्र वीडियो द्वारा प्रदर्शन नियमावली 1988 के नियम–15 के अंतर्गत अस्थायी वीडियो सिनेमा को लाइसेंस प्रदान करना / नवीनीकृत करने पर निर्णय	15 Days	30 Days	30 Days
			(vi) उ.प्र. आमोद एवं पणकर नियमावली 1981 के नियम–28, 29, 30 व 31 के अंतर्गत अतिरिक्त जमा कर की वापसी / समायोजन करने पर निर्णय	15 Days	30 Days	30 Days
			(vii) उ.प्र. आमोद एवं पणकर नियमावली 1981 के नियम–34 के अंतर्गत जमा प्रतिभूति वापसी पर निर्णय	30 Days	30 Days	30 Days
26	गृह (पुलिस) विभाग	15	(i) पासपोर्ट कार्यालय से प्राप्त फार्म / आवेदन–पत्र के सत्यापन पर निर्णय	15 Days	5 Days	5 Days
			(ii) चरित्र सत्यापन (पुलिस वेरीफिकेशन रिपोर्ट मिलिट्री वेरीफिकेशन रिपोर्ट प्राइवेट वेरीफिकेशन रिपोर्ट) पर निर्णय	15 Days	5 Days	5 Days
			(iii) चरित्र सत्यापन (ठेकेदारों हेतु) पर निर्णय	15 Days	5 Days	5 Days
			(iv) शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र की जांच / संस्तुति पर निर्णय	15 Days	5 Days	5 Days
			(v) पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य संबंधित अभिलेखों की प्रमाणित प्रति को उपलब्ध कराये जाने पर निर्णय	5 Days	5 Days	5 Days
			(vi) 34 पुलिस एक्ट, मोटर व्हीकिल एक्ट के अंतर्गत चालान पर कम्पाउंडिंग पर निर्णय	2 Days	2 Days	2 Days
			(vii) शांतिपूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रम, सभा, जुलूस आदि के आयोजन से संबंधित अनुशंसा / अनुमति पर निर्णय	1 Day	1 Day	1 Day
			(viii) पटाखों के लाइसेंस के लिए अनापत्ति / संस्तुति पर निर्णय	15 Days	5 Days	5 Days
			(1) निर्माण के लिए			
			(2) स्टोरेज के लिए	15 Days	5 Days	5 Days
			(3) विक्रय के लिए	15 Days	5 Days	5 Days
			(4) अस्थाई विक्रय के लिए	7 Days	3 Days	3 Days
			(ix) थाना स्तर पर प्राप्त आवेदन–पत्र की पावती एवं निस्तारण पर निर्णय	7 Days	5 Days	5 Days
			(x) कारागार में चिकित्सीय जांच / उपचार तथा आर्थिक एवं शारीरिक शोषण के शिकायती–पत्रों के निस्तारण पर निर्णय	1 Day	1 Day	1 Day
			(xi) कारागार में निरुद्ध की अवधि एवं सीखे गये कार्य के प्रमाण–पत्रों को दिये जाने पर निर्णय	7 Days	5 Days	5 Days
			(xii) अग्निशमन सेवाएं द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाने पर निर्णय			
			(1) सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु	2 Days	2 Days	2 Days
			(2) अन्य प्रयोजनों हेतु	15 Days	5 Days	5 Days
			(xiii) अग्नि से हुयी क्षति के आंकलन पर निर्णय	7 Days	3 Days	3 Days
			(xiv) फिल्म शूटिंग के लिए संस्तुति / अनुमति पर निर्णय	10 Days	5 Days	3 Days
			(xv) राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा अपने अधिकारिता क्षेत्र में नो–पार्किंग जोन के खड़ी गाड़ी के चालान की कम्पाउंडिंग पर निर्णय	2 Days	2 Days	2 Days

उ0प्र0 जनहित गारन्टी अधिनियम-2011 (धारा-3 के अधीन) से आच्छादित करने हेतु विभागवार सेवाओं की सूची

नोटः- इस सूची का क्रमांक-1 सभी विभागों के लिये है ।

क्र.सं.	विभाग	सेवा संख्या	प्रकरण	निस्तारण की समय सीमा		
				आवेदन की तिथि से	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
1	सभी विभागों के लिए	10	(i) पेंशन स्वीकृति पर निर्णय	60 Days	30 Days	30 Days
			(ii) जी.पी.एफ. स्वीकृति पर निर्णय	30 Days	15 Days	15 Days
			(iii) चिकित्सा अवकाश स्वीकृत पर निर्णय	15 Days	15 Days	15 Days
			(iv) चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर निर्णय (तकनीकी एवं अनिवार्यता परीक्षण के बाद।	60 Days	30 Days	30 Days
			(v) प्रोवीजनल पेंशन स्वीकृति पर निर्णय	30 Days	30 Days	30 Days
			(vi) उपार्जित अवकाश स्वीकृति पर निर्णय	15 Days	07 Days	07 Days
			(vii) वेतन भुगतान पर निर्णय	15 Days	07 Days	07 Days
			(viii) गोपनीय प्रविष्टि पर निर्णय	30 Days	30 Days	30 Days
			(ix) सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति पर निर्णय	90 Days	30 Days	30 Days
			(X) मृतक आश्रित नियुक्त (सामान्य मामलों में) पर निर्णय	90 Days	30 Days	30 Days
2	ऊर्जा विभाग	4	(i) नये विद्युत कनेक्शन पर निर्णय :-			
			1. नये घरेलू विद्युत कनेक्शन पर निर्णय	30 Days	15 Days	15 Days
			2. नये औद्योगिक विद्युत कनेक्शन पर निर्णय	30 Days	30 Days	30 Days
			(ii) खराब मीटर को बदले जाने पर निर्णय	30 Days	15 Days	15 Days
			(iii) विद्युत दुर्घटना पर भुगतान किये जाने पर निर्णय	30 Days	15 Days	15 Days
			(iv) ट्रान्सफार्मर जलन पर बदले जाने पर निर्णय :-	7 Days	7 Days	7 Days
			नगरीय -			
			ग्रामीण-	7 Days	7 Days	7 Days
3	लघु उद्योग	1	(i) पंजीकरण सेवा को सम्मिलित किये जाने पर निर्णय	3 Days	7 Days	7 Days
4	श्रम विभाग	2	(i) श्रमिकों के पंजीयन पर निर्णय	30 Days	15 Days	15 Days
			(ii) अधिष्ठान पंजीयन पर निर्णय	60 Days by Act	15 Days	15 Days
5	आबकारी विभाग	4	(i) स्कूल कालेज को rectified स्पिरिट की आपूर्ति पर पर निर्णय	7 Days	30 Days	15 Days
			(ii) नार्कोटिक मेडिसिन (बीमारी हेतु) आयात पर निर्णय	15 Days	30 Days	15 Days
			(iii) अकेजनल बार लाइसेंस निर्गत किये पर निर्णय	7 Days	30 Days	15 Days
			(iv) सेक्रामेन्टल वाइन का लाइसेंस निर्गत किये जाने पर निर्णय	7 Days	30 Days	15 Days
6	माध्यमिक शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा परिषद)	9	(i) मूल प्रमाण-पत्र जारी करने पर निर्णय	15 Days	15 Days	15 Days
			(ii) डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र जारी करने पर निर्णय	30 Days	15 Days	15 Days
			(iii) मूल अंक पत्र जारी करने पर निर्णय	15 Days	15 Days	15 Days
			(iv) डुप्लीकेट अंक पत्र जारी करने पर निर्णय	15 Days	15 Days	15 Days
			(v) संशोधित प्रमाण-पत्र जारी करने पर निर्णय	30 Days	15 Days	15 Days
			(vi) संशोधित अंक-पत्र जारी करने पर निर्णय	30 Days	15 Days	15 Days
			(vii) निरस्त परीक्षाफल का निस्तारण करने पर निर्णय	45 Days	30 Days	15 Days
			(viii) रोके गये (Witheld) परीक्षाफल पर निर्णय	45 Days	30 Days	15 Days
			(ix) अपूर्ण/ त्रुटिपूर्ण परीक्षाफल को ठीक करने पर निर्णय	45 Days	30 Days	15 Days
7	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	8	(i) Medico-Legal Certificate (injury) पर निर्णय	3 Days	7 Days	7 Days
			(ii) Death Certificate for people dying in the hospital पर निर्णय	1 Days	7 Days	7 Days
			(iii) आयु प्रमाण-पत्र पर निर्णय	30 Days	30 Days	15 Days
			(iv) बीमारी एवं आरोग्यता प्रमाण-पत्र पर निर्णय	30 Days	30 Days	30 Days
			(v) नर्सिंग होम के पंजीकरण पर निर्णय	90 Days	30 Days	30 Days
			(vi) टीकाकरण प्रमाण-पत्र पर निर्णय	30 Days	30 Days	30 Days
			(vii) फैमिली प्लानिंग असफल रहने पर भुगतान पर निर्णय	45 Days	30 Days	30 Days
			(viii) चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु तकनीकी परीक्षण एवं अनिवार्यता प्रमाण-पत्र पर निर्णय	45 Days	30 Days	30 Days
8	महिला कल्याण विभाग	4	(i) विधवा पेंशन पर निर्णय	30 Days	30 Days	30 Days
			(ii) दहेज से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता/वित्तीय सहायता पर निर्णय	30 Days	30 Days	30 Days
			(iii) दाम्पत्य पुरस्कार- विधवा से शादी करने पर विधवा /निराश्रित पुत्री के लिए शादी हेतु सहायता पर निर्णय	30 Days	30 Days	30 Days
			(iv) किशोरी लड़कियों को पोषाहार दिये जाने पर निर्णय	30 Days	30 Days	30 Days
9	पंजीकरण विभाग	1	1. रजिस्ट्री पेपर की वापसी पर निर्णय	1 Day	3 Days	3 Days
10	लोक निर्माण विभाग	3	(i) रोड साइड कन्ट्रोल के तहत आख्या भिजवाने पर निर्णय	30 Days	30 Days	15 Days
			(ii) ठेकेदारों का पंजीकरण :-			
			(1) ठेकेदार द्वारा पंजीकरण संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के पश्चात सत्यापन हेतु अभिलेख भेजे जाने पर निर्णय	15 Days	15 Days	15 Days
			(2) सत्यापन के उपरान्त समस्त अभिलेख प्राप्त होने के बाद पंजीकरण/ नवीनीकरण (पंजीकरण नियमावली 1982 के अनुसार) किये जाने पर निर्णय	15 Days	15 Days	15 Days
11	बाट--माप विभाग	6	(i) बाट-माप तौलने मापने के उपकरणों के निर्माण करने हेतु विनिर्माता अनुज्ञा-पत्र निर्गत किये जाने पर निर्णय	45 Days	30 Days	30 Days
			(ii) बाट-माप तौलने मापने के उपकरणों के विक्रय करने हेतु व्यवहार अनुज्ञा-पत्र निर्गत किये जाने पर निर्णय	30 Days	30 Days	30 Days
			(iii) बाट-माप तौलने मापने के मरम्मत हेतु मरम्मतकर्ता अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाने पर निर्णय	30 Days	30 Days	30 Days
			(iv) बाट-माप तौलने मापने के उपकरणों के विनिर्माता अनुज्ञा-पत्र का नवीनीकरण किये जाने पर निर्णय	30 Days	15 Days	15 Days
			(v) बाट-माप तौलने मापने के उपकरणों के व्यवहारी अनुज्ञा-पत्र का नवीनीकरण किये जाने पर निर्णय	15 Days	15 Days	15 Days
			(vi) बाट-माप तौलने मापने के मरम्मतकर्ता अनुज्ञा-पत्र का नवीनीकरण किये जाने पर निर्णय	15 Days	15 Days	15 Days
12	समाज कल्याण विभाग	5	(i) वृद्धावस्था पेंशन पर निर्णय	30 Days	30 Days	30 Days
			(ii) पारिवारिक लाभ योजना पर निर्णय	30 Days	30 Days	30 Days
			(iii) SC/ST के उत्पीड़न की सूचना पर निर्णय	30 Days	15 Days	15 Days
			(iv) SC/ST की छात्रवृत्ति की शिकायत पर निर्णय	30 Days	30 Days	30 Days
			(v) रानी लक्ष्मी बाई पेंशन योजना पर निर्णय	30 Days	30 Days	30 Days

P.T.O.

मध्यान्ह भोजन (मिड-डे-मील) योजना

ग्राम प्रधानों/ग्रामवासियों/अध्यापकों व ग्रामीण संगठनों से अपील

यह सुनिश्चित करें कि :-

- खाना पकाने से पूर्व खाद्यान्न अच्छी तरह से साफ कर लिया जाये।
- गर्म-पका-पकाया भोजन बच्चों को परोसने से पूर्व अध्यापक या अभिभावक अवश्य चख कर देखें जिससे भोजन की गुणवत्ता का परीक्षण हो सके।
- खाने से पूर्व बच्चों को हाथ धोने के लिए अवश्य कहें।
- 15.06.2007 से कन्वर्जन कास्ट (परिवर्तन लागत) की धनराशि प्राथमिक स्तर पर 2.89 रु. प्रति छात्र प्रतिदिन एवं 100 ग्राम अनाज प्रति बच्चा तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 4.33 रु. प्रति छात्र प्रतिदिन एवं 150 ग्राम अनाज प्रति बच्चा निर्धारित की गई है।

समस्त विद्यालयों में भोजन निम्न तालिका अनुसार निर्धारित है :-

दिन	नवीन मेन्यू	व्यंजन के प्रकार	100 बच्चों हेतु वांछित सामग्री
सोमवार	रोटी-सब्जी, जिसमें सोयाबिन अथवा दाल की बड़ी का प्रयोग	100 ग्राम गेहूँ की रोटी एवं दाल की बड़ी (दाल की बड़ी में मौसमी सब्जियों का दाल स्वाद के अनुसार मिश्रण) अथवा मौसमी सब्जी एवं सोयाबिन।	आटा 10 किलो सोयाबिन अथवा दाल की बड़ी अथवा सब्जी 6 किलो, तेल/घी 500 ग्राम आटा 10 किलो, सोयाबिन एवं सब्जी 6 किलो तेल/घी 1-4 किलो
मंगलवार	चावल-सब्जी युक्त दाल अथवा चावल साम्भर	100 ग्राम चावल एवं सब्जी (मौसमी) मिश्रित दाल, अरहर की दाल	दाल 2-5 किलो, चावल 10 किलो, सब्जी 3 किलो
		साम्भर मसाला एवं मौसमी सब्जी	दाल 2-5 किलो, चावल 10 किलो, सब्जी 3 किलो
बुधवार	कढ़ी चावल अथवा मीठा चावल/खीर	100 ग्राम चावल, बेसन, मट्ठा/दही मिश्रित कढ़ी	चावल 10 किलो, 10 लीटर दूध से बना दही बेसन 2-5 किलो
		100 ग्राम चावल मानकानुसार दूध, चीनी, मेवे का मिश्रण	चावल 10 किलो, दूध 10 लीटर चीनी 3 किलो
गुरुवार	रोटी-सब्जी युक्त दाल अथवा सोयाबिन	100 ग्राम गेहूँ की रोटी एवं दाल (दाल में मौसमी सब्जियों का स्वाद के अनुसार मिश्रण) अथवा मौसमी सब्जी एवं सोयाबिन 100 ग्राम चावल मानकानुसार दूध, चीनी, मेवे का मिश्रण	आटा 10 किलो सब्जी मिश्रित दाल 6 किलो, तेल/घी 500 ग्राम आटा 10 किलो, सोसाबिन की बड़ी युक्त
शुक्रवार	तहरी	100 ग्राम चावल एवं सब्जी (आलू सोयाबिन एवं समय-समय पर उपलब्ध मौसमी सब्जियाँ)	चावल 10 किलो, सब्जी सोयाबिन बड़ी युक्त 6 किलो
शनिवार	सब्जी--चावल-सोयाबिन अथवा मीठा चावल/खीर	100 ग्राम चावल एवं सोयाबिन तथा मसाले एवं ताजी सब्जियाँ	चावल 10 किलो, सब्जी-सोयाबिन 6 किलो
		100 ग्राम चावल मानकानुसार दूध, चीनी, मेवे का मिश्रण	चावल 10 किलो, दूध 10 लीटर एवं चीनी 3 किलो

इसके अलावा सुनिश्चित करें कि :-

- कक्षा 5 तक के सभी बच्चों को 300 रु. प्रति वर्ष छात्रवृत्ति मिले।
- कक्षा 5 तक के सभी छात्राओं (लड़कियों) को वर्ष में एक बार 100 रुपये तक ड्रेस मिले।
- कक्षा 5 तक के सभी बच्चों को मुफ्त किताब मिले तथा लड़कियों एवं अनुसूचित जाति के बच्चों को निःशुल्क कार्य पुस्तिका मिले।
- प्रत्येक 200 बच्चों पर एक खाना बनाने वाली होनी चाहिए जिसका मानदेय 1000/- प्रतिमाह होगा।
- भोजन बनाने में अनुसूचित जाति, विधवा महिला को प्राथमिकता दी जाय।
- मिड डे के संचालन हेतु निगरानी समिति (महिला मण्डल) एवं ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। इसकी नियमित बैठकें हो व इनके द्वारा मिड डे की गुणवत्ता की जाँच किया जाय।
- इसके अलावा संगठन के पहल पर अलग से निगरानी समिति का गठन किया जा सकता है।
- स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था ठीक प्रकार से चले।
- शिक्षा मित्रों को नियमित वेतन मिले एवं उनका शोषण न किया जाय।

नोट :- शिकायत होने पर शिक्षा समिति, ग्राम प्रधान, प्रधानाचार्य, ब्लाक एवं शिक्षा ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला अधिकारी से सम्पर्क करें।

सम्पर्क पता : आशा परिवार/ एन.ए.पी.एम., ए-893, इन्दिरानगर लखनऊ- 226016
Ph. : 0542-2347365 • Email_ashaashram@yahoo.com

आँगनबाड़ी

उद्देश्य :-

भोजन का अधिकार भारतीय संविधान की धारा-21 में दर्ज बुनियादी "जीने का अधिकार" का एक पहलू है। "समेकित बाल विकास योजना" (आँगनबाड़ी) छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों के के मौलिक अधिकारों खासकर उनके पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकार से संबंधित है।

आँगनबाड़ी सुनिश्चित करता है कि :-

- छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाया जाय।
- बच्चों में समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव पड़े।
- मृत्यु, बीमारी, कुपोषण और स्कूल छोड़ने के हादसों में कमी आवे।
- बच्चों के साथ-साथ किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं की देखरेख तथा उनको पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवाएं और सीखने तथा स्फूर्ति का माहौल मिल सके।

आँगनबाड़ी के सन्दर्भ में सुप्रीमकोर्ट के आदेश :-

- 6 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को 500 कैलोरी और 12-15 ग्राम प्रोटीन मिले।
- प्रत्येक किशोरी बालिका को 500 कैलोरी और 20-25 ग्राम प्रोटीन मिले।
- प्रत्येक गर्भवती और धात्री महिला को 600 कैलोरी और 18-20 ग्राम प्रोटीन मिले।
- प्रत्येक कुपोषित बच्चों को 800 कैलोरी और 20-25 ग्राम प्रोटीन मिले।
- 0-6 वर्ष तक के सभी बच्चों व किशोरियों और धात्री माताओं को वर्ष 300 दिन पूरक पोषाहार मिले।
- पूरक पोषण के लिए सरकार प्रति बच्चा प्रतिदिन 4 रुपये, कुपोषित बच्चों पर 6.00 रुपये तथा गर्भवती महिला, धात्री माताओं एवं किशोरियों पर 5.00 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से खर्च करें।

इसके अलावा :-

- पोषण सामग्री की आपूर्ति में ठेकेदारों का इस्तेमाल न किया जाय।
- प्रत्येक 1000 की आबादी पर आँगनबाड़ी केन्द्र अनिवार्य हो।
- जिन झुग्गी बस्तियों में तथा गाँवों में 6 वर्ष से कम उम्र के 40 बच्चे हो, माँग करने पर 3 महीने के अन्दर नये आँगनबाड़ी केन्द्र खोला जाए।
- सभी मलिन बस्तियों में आँगनबाड़ी केन्द्र हो।
- अनूसूचित जाति एवं जनजाति के बस्तियों में आँगनवाड़ी केन्द्र को प्राथमिकता दी जाए।
- स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूह एवं महिला मण्डलों का गठन कर उन्हें-उन्हें आँगनबाड़ी का ठीक से संचालन के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को समय-समय पर टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच एवं दवायें उपलब्ध हों।
- आँगनबाड़ी केन्द्र पर पर्याप्त स्थान, खेल सामग्री, पेयजल, शौचालय, अनाज भण्डारण और रसोई घर की व्यवस्था हो।

आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, महिला संगठन एवं अभिभावक सुनिश्चित करें कि :-

- आँगनबाड़ी समय पर खुले।
- लक्षित वर्ग के सभी बच्चे केन्द्र पर आवें।
- हर छोटे बच्चे, किशोरियों, गर्भवती और धात्री माताओं को नियमित पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तायुक्त स्वादिष्ट पोषाहार मिले।
- नियमित रूप से टीकाकरण एवं स्वास्थ्य जाँच हो।
- आँगनवाड़ी के सही संचालन हेतु निगरानी समिति का गठन किया जाय।
- आँगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एवं सम्बन्धित अधिकारियों के साथ अभिभावकों एवं ग्रामीणों में नियमित बैठक हो।
- हर आँगनवाड़ी केन्द्र पर पर्याप्त स्थान और खेल सामग्री, पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था हो।
- आँगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का शोषण न हो।
- आँगनबाड़ी केन्द्र भ्रष्टाचार मुक्त हो।

नोट : – बी पी एल परिवार में किसी कन्या के पैदा होने पर महामाया बालिका आशीर्वाद योजना के अन्तर्गत मिलने वाला लाभ भी आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से ही सी.डी.पी.ओ. द्वारा किया जायेगा।

- आँगनवाड़ी केन्द्र में किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर सी.डी.पी.ओ., जिला अधिकारी अथवा सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर या उनके सलाहकारों से सम्पर्क करें।

कृपया यह भी जानें

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विक्रय होने वाली वस्तुओं की मूल्य सूची

वस्तु का नाम	अन्त्योदय (लाल कार्ड)	बी.पी.एल. (सफेद कार्ड)	ए.पी.एल. (पीला कार्ड)
गेहूँ	2.00	4.65	6.60
चावल	3.00	6.15	8.45
मिट्टी का तेल (दूरी के अनुसार)	12.50-13.50	12.50-13.50	12.50-13.50
चीनी	13.50	13.50	13.50

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित शिकायत अपने जिले के जिला पूर्ति अधिकारी अथवा जिलाधिकारी से करें :

आशा परिवार, जनान्दोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (NAPM) द्वारा जनहित में जारी।

सौजन्य से- "आशा ट्रस्ट", ग्राम : भन्दहांकला, पोस्ट- कैथी, वाराणसी-221116, Ph. : 0542-2618401 • Email_ashakashi@gmail.com

सूचना का अधिकार जनता का अधिकार

हमारा पैसा हमारा हिसाब **हम जानेंगे हम जीयेंगे**

❀ पारदर्शिता एवं जवाबदेही ही लोकतन्त्र का आधार है ❀

- ☛ सरकार एवं अन्य संवैधानिक संस्थाओं एवं प्रतिष्ठानों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार अब सभी भारतवासियों को प्राप्त हो गया है, संसद में "सूचना का अधिकार विधेयक" 11 मई 2005 को पारित किया गया तथा 13 अक्टूबर 2005 को यह कानून के रूप में पूरे देश में लागू कर दिया गया है।
- ☛ इस कानून के दायरे में सरकारी, अर्धसरकारी संस्थाओं तथा विभागों के अतिरिक्त ऐसे गैर सरकारी संगठन भी आते हैं जो सरकार से धन प्राप्त करते हैं।
- ☛ सभी मंत्रालयों, सरकारी विभागों, संवैधानिक संगठनों के दफ्तरों, सी.बी.आई., सार्वजनिक निगमों, विश्वविद्यालयों, बैंकों इत्यादि सबसे सूचनायें ली जा सकती है, लेकिन खुफिया विभाग, संवेदनशील विभागों, वैज्ञानिक शोध विभागों, परमाणु एवं उपग्रह विभाग, कश्मीर के मामले तथा ऐसे मामलों जिसकी सूचना सार्वजनिक करने से देश की सुरक्षा को खतरा हो, को इस कानून से बाहर रखा गया है।
- ☛ मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों एवं किसी जाँच प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने पर उसके बारे में सूचना भी प्राप्त की जा सकती है। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, विधायक, सांसद, विधान परिषद् सदस्य इत्यादि के कार्यों, निधियों एवं आय-व्यय का ब्यौरा भी प्राप्त किया जा सकता है।
- ☛ सूचनायें सामग्री के रूप में भी प्राप्त करने का हक है, सभी दस्तावेजों की फोटो प्रति या इलेक्ट्रानिक रूप (फ्लॉपी, सीडी, वीडियो कैसेट, टेप) में भी प्राप्त किया जा सकता है।
- ☛ किसी रिपोर्ट, निर्णय, नये कानून, किसी मीटिंग की कार्यवाही तथा किसी पत्रावली पर की गयी टिप्पणियों की नकल भी माँगी जा सकती है, किसी सूचना के न मिलने या कार्य न हो पाने का कारण एवं इसके लिये दोषी व्यक्तियों का नाम भी पूछा जा सकता है।
- ☛ भ्रष्टाचार की निर्बाध धारा को रोकने एवं अपने अधिकारों को पाने के लिये 'सूचना के अधिकार' रूपी हथियार को अपनायें व संगठित होकर इस अधिकार के प्रयोग को आन्दोलन का रूप दें।

सूचना देने की व्यवस्था

1. सूचना प्राप्त करने के लिये 10 मात्र शुल्क के साथ आवेदन करना होगा, यह शुल्क नकद, बैंकर्स चेक, पोस्टल आर्डर, ड्राफ्ट या ट्रेजरी चालान द्वारा देय है, गरीबी रेखा के नीचे के जीवनयापन करने वाले व्यक्ति के लिये कोई शुल्क देय नहीं है उन्हें अपने राशन कार्ड की प्रति संलग्न करनी होगी, दस्तावेजों की फोटो प्रति या इलेक्ट्रानिक रूप (फ्लॉपी, सी.डी. वीडियो कैसेट, टेप इत्यादि) में प्राप्त करने के लिए अलग से शुल्क देय होगा।
2. प्रत्येक विभाग, जनपद, तहसील एवं ब्लाक स्तर पर सूचना देने के लिये जनसूचना अधिकारी/ सहायक जनसूचना अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।
3. सूचनाधिकारी आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर वांछित सूचना उपलब्ध करायेगा, यदि सूचना किसी और विभाग से सम्बन्धित हो तो यह अवधि 35 दिन हो सकती है।
4. यदि सूचना समयावधि में नहीं मिलती अथवा भ्रामक, अपूर्ण, अस्पष्ट या असंतोषजनक सूचना दी जाती है तो इसकी अपील, विभाग के अपील अधिकारी को 30 दिन के भीतर करनी होगी। वह अपील अधिकारी, जन सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी होगा। प्रथम अपील के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।
5. अपील अधिकारी के स्तर से भी सूचना प्राप्त न होने पर द्वितीय अपील या शिकायत राज्य सूचना आयोग को करनी होगी। केन्द्र सरकार के मामले में अपील केन्द्रीय आयोग को करनी होगी। सूचना आयोग में अपील के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।
6. सूचना आयोग मामले की जाँच करके 90 दिनों में सूचना उपलब्ध करायेगा एवं सम्बन्धित दोषी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करेगा तथा सम्बन्धित व्यक्ति के वेतन से रु. 250 प्रतिदिन के हिसाब से रु. 25000 तक की कटौती भी कर सकता है।
7. आयोग से भी सूचना न मिलने पर न्यायालय में अपील की जा सकती है।

नोट- आवेदन देकर पावती अवश्य प्राप्त कर लें। यदि कोई अधिकारी आवेदन नहीं ले रहा है या किसी कार्यालय में जनसूचना अधिकारी का बोर्ड नहीं लगा है तो इसकी शिकायत सीधे राज्य/ केन्द्रीय सूचना आयोग को करें।

केन्द्रीय एवं राज्य सूचना आयोगों के पते निम्न हैं :-

केन्द्रीय सूचना आयुक्त कार्यालय, क्लब बिल्डिंग, ओल्ड जे.एन.यू. कैम्पस, बेर सराय, नई दिल्ली-110067

फोन- 011-26761137, 26717351, 26105041, फैक्स- 011-26186536 www.cic.gov.in

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय

कक्ष संख्या 615, छठवीं मंजिल, इन्दिरा भवन, लखनऊ-226 001, फोन- 0522-2288598

फैक्स- 0522-2288600, www.upsic.up.nic.in

कृपया पन्ना उलटिये

क्या आप चाहते हैं कि :-

- सरकारी कार्यालयों में रुका आपका काम हो जाये?
- आपकी खराब सड़क ठीक हो जाय एवं नाली की सफाई समय से हो?
- बिना रिश्वत दिये आपका राशन कार्ड, पासपोर्ट, टेलीफोन कनेक्शन, निवास प्रमाण-पत्र जॉब कार्ड इत्यादि कार्य हो जाये?
- आपकी रूकी हुई पेंशन मिल जाये तथा भविष्यनिधि का पैसा बिना परेशानी मिल जाये?
- पुलिस की बिना वजह परेशानी से आपको छुटकारा मिले?
- बैंक, डाकघर, बीमा कार्यालय इत्यादि दफ्तरों में आपका काम आसानी से हो?
- आपको न्याय मिले एवं किसी लाचार एवं पात्र व्यक्ति को उसका हक दिलाकर मदद करें?

क्या आप जानना चाहेंगे कि :-

- आपका काम न करने के लिए कौन जिम्मेदार है?
- आपके गाँव में अन्त्योदय, अन्नपूर्णा एवं गरीबी रेखा के नीचे के राशन कार्ड किसे दिये गये हैं? और किसको विधवा, विकलांग या वृद्धावस्था पेंशन मिलती है? किसे इन्दिरा आवास, मछुआ आवास, शौचालय या हैण्डपम्प दिया गया है?
- आपके गाँव के प्राइमरी स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं? स्कूल के विकास के लिये कुल कितना धन आया? एवं सभी बच्चों को मिड डे मील, छात्रवृत्ति, ड्रेस या पुस्तकें मिली या नहीं?
- आपके सांसद, विधायक, जिला पंचायत, क्षेत्रपंचायत, नगरपालिका की निधियों का व्यय किस कार्य में किया गया?
- बाढ़ एवं सूखा राहत के लिये सरकार की क्या योजना है और उसके लिये स्वीकृत धन का क्या उपयोग हो रहा है?
- महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में आपके शुल्क व सरकारी अनुदान का क्या उपयोग होता है?
- महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में आपके शुल्क व सरकारी अनुदान का क्या उपयोग होता है?
- नियोजन प्रक्रिया और उसकी मेधा सूची, चयनित अभ्यर्थियों की योग्यता क्या है?

आपको जानने का हक है अतः जागरूक बनिये एवं सूचना के अधिकार का प्रयोग कीजिये

सम्पर्क : **उन्नाव-** अनिल मिश्रा (9956501581) देवरिया- केशव चन्द्र (9453460274) डॉ. जनार्दन सिंह 9793939850) रंजीत सिंह (9415638610), शिवचंद्र (9839693182) रामकिशोर (9651814390) व्यासमुनि मिश्रा (9918743102) **कुशीनगर-** उदयभान यादव (9935445489) संगीता मिश्रा (9918283951) दशरथ (9792320774) शैलेश (9838695316) अभय (9307751790) **गोरखपुर-** राजपाल मिश्रा (9475823701)। **महाराजगंज-** संजय कुमार (9918041058) । **बाराबंकी-** राजेश मौर्या (9793125579) । **कानपुर-** महेश (9838546900), शंकर सिंह (9956576907) , दीनदयाल (9936759914) के एम. यादव (9022247576) **लखनऊ-** अरूंधती धुरू (9415022772), एस.आर दारापुरी (941516845) चुन्नीलाल (9839422521), सचिन अग्रवाल (94152555042), नवीन तिवारी (9935008249) **हरदोई-** रामबाबू (945244454), भगवानदीन/मोहनलाल (9919823845), देवेश पटेल (9455037799)। **वाराणसी-** वल्लभाचार्य पाण्डेय (9415256848) नंदलाल मास्टर (9415300520) अजय पटेल (9935956075), अंजनी सिंह (9415812309), सुरेश राठौर (9839017693) मुकेश कुमार (9415870032) महेंद्र राठौर (9936473073) प्रदीप सिंह (9838948830) राजेश ((9335757317) राजकुमार (9452884152) हरीप्रसाद (9044692341)। **जौनपुर-** रमेश चंद्र यादव (9451714769) दौलत राम (9415315091), निसार अहमद (9415315484), **बलिया-** विजय भाई (9335341150), बलिराम (9450779325), **भदोही-** वंदना (9956128649)। **सीतापुर-** रिचा सिंह (9450462474), रेखा चौहान (9415256472) **मुरादाबाद-** प्रेम कुमार (9412839020)। **फतेहपुर, कौशाम्बी-** विक्रम सिंह (9839513128)। **मऊ-** अरविंद मूर्ति (9839835032) विनय (7453244095)। **चंदौली-** जयशंकर पाण्डेय (9918640500), सतीश (9415137508), डा. एस. पी. सिंह (9450245119) होशिला यादव (9794202242) संतोष (9451229244) कमलेश (9451588723) जितेन्द्र (9451392203) जय प्रकाश (9956359655) **गाजीपुर-** विश्वेश कुमार (9450243848) सावित्री बहन (9838214845)। **प्रतापगढ़-** रविंद्र मिश्र (9838882977) **गोण्डा -** कपिल देव (9792938391)। **मीरजापुर -** अजय (9935956075), संजय (9956695686) प्रदीप शुक्ला (9452939719), **सोनभद्र -** रोमा (9415233583)

सूचना आयोग उत्तर प्रदेश में सहायता के लिए सम्पर्क कर सकते हैं-
ऊषा विश्वकर्मा (8090312063), अखिलेश सक्सेना (9889346306), उर्वशी शर्मा (9305463313)

सम्पर्क पते-

1. सूचना का अधिकार अभियान उ.प्र./ आशा परिवार/ जन आन्दोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (एन.ए.पी.एम.) ए-893। इन्दिरानगर, लखनऊ-226016, मोबाइल- 9415022772 (अरून्धती धुरू/डॉ. संदीप पाण्डेय) फोन : 2347365 ई. मेल : ashaashram@yahoo.com
2. "आशा ट्रस्ट" ग्राम : भन्दहांकला, पोस्ट- कैथी, वाराणसी-221116, फोन- 2618201, 2618301, 2618401 मो. : 9415256848 (वल्लभाचार्य पाण्डेय)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कानून, 2005 (NREGA)

हर हाथ को काम मिले, काम का पूरा दाम मिले

रोजगार नियोजन

- प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य जो -
- किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं।
- अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं।
- अपने परिवार के पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन करने के 15 दिवस के भीतर 5 किमी. की दूरी तक किसी वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार को अधिकतम 100 दिनों के लिए रोजगार के हकदार होंगे।

योजना में किस प्रकार के कार्य होंगे

1. जल संरक्षण व जल संचय सूखारोधी 2. सूक्ष्म व लघु सिंचाई नहर कार्य 3. एस.सी./एस.टी./इन्दिरा आवास योजना के परिवारों के भूमि सुधार कार्य व सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराना 4. जल निकायों का नवीनीकरण व शुद्धिकरण 5. बाढ़ नियंत्रण व सुरक्षा कार्य 6. जलरूद्ध क्षेत्रों में जल निकास 7. सभी मौसम के लिए पहुँच मार्ग 8. वृक्षारोपण 9. राज्य सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य कार्य।

कार्यो का चयन, परियोजना प्रस्ताव तैयार करना तथा क्रियान्वयन

- प्रत्येक ग्राम पंचायत, ग्रा पंचायत और वार्ड सभाओं की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् एक विकास योजना तैयार करेगी तथा माँग के अनुसार कार्यों व निष्पादन के लिए उत्तरदायी होंगी।
- लागत के अनुसार कम से कम पचास प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही कराए जायेंगे।

रोजगार कार्ड (जॉब कार्ड)

ग्राम पंचायत पंजीकरण के पश्चात एक रोजगार कार्ड जारी करेगी जिसमें परिवार के वयस्क सदस्य जिन्होंने काम की माँग की है के नाम, आयु, पते, फोटोग्राफ सहित दर्ज होंगे। यह रजिस्ट्रेशन कम से कम 5 वर्ष के लिए होगा, जिसको समय-समय पर नवीनीकरण किया जा सकेगा। रोजगार कार्ड पर फोटो का खर्च सरकार वहन करेगी। जॉब कार्ड के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन करना होगा एवं आवेदन के 15 दिन के भीतर यह प्राप्त हो जायेगा। (आवेदन की रसीद अवश्य प्राप्त कर लें)

कार्य के लिए आवेदन

कार्य के लिए व्यक्तिगत / सामूहिक आवेदन लिखित रूप में ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी (ब्लॉक स्तर पर) को प्रस्तुत होंगे तथा ये अधिकारी आवेदक को तारीख सहित रसीद उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे। (आवेदन की रसीद अवश्य प्राप्त कर लें)

कार्य की उपलब्धता

आवेदन रजिस्टर में से मजदूरों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें कम से कम एक तिहाई महिलाएँ होगी। जिन्होंने कार्य के लिए पंजीकरण कराया है। आवेदक को गाँव से 5 किमी. की दूरी के अन्दर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। 5 किमी. से अधिक दूरी के लिए अतिरिक्त परिवहन तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए मजदूरी दर से दस प्रतिशत का अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा।

मजदूरी दर

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3 की अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी (आठ घंटे का कार्य) दी जायेगी। (वर्तमान में उत्तर प्रदेश में यह दर 120 रुपये प्रतिदिन है।)

मजदूर के भुगतान की व्यवस्था

- मजदूर का भुगतान या तो पूर्णतः नकद अथवा और अनाज के रूप में किया जायेगी। (कम से कम एक चौथाई मजदूरी का भुगतान नकद ही किया जाएगा) कहीं-कहीं बैंक या डाकघर में खाता खुलवा कर उसके माध्यम से भी भुगतान किया जा रहा है।
- नकद मजदूरी व बेकारी भत्तों का भुगतान पूर्व घोषित तारीखों पर समुदाय के लोगों की उपस्थिति में किया जायेगा।
- यदि निर्धारित अवधि (साप्ताहिक अथवा पाक्षिक) में मजदूरी का भुगतान नहीं किया जात है तो श्रमिक, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 (1936 का 4) के अनुसार क्षतिपूरक भत्ता दिया जावेगा।

बेरोजगारी भत्ता

यदि आवेदन की तारीख से 15 दिवस के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं करवाया जाता तो आवेदक बेरोजगारी बत्ता का हकदार होगा। बेरोजगारी भत्ता की दरें : प्रथम 30 दिनों के लिए मजदूरी दर एक चौथाई तथा वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए मजदूरी दर का आधा। किसी वित्तीय वर्ष में मजदूरी + बेरोजगारी भत्ता = सौ दिनों की मजदूरी।

कार्यस्थल पर मजदूरों के लिए अन्य सुविधाएँ

1. कार्यस्थल पर स्वच्छ पेयजल 2. विश्राम की अवधि के लिए शेड 3. कार्यरत महिलाओं के साथ छह वर्ष तक के पाँच या अधिक बच्चों के देखभाल के लिए अतिरिक्त महिला की व्यवस्था 4. दुर्घटना से बचाव की हर व्यवस्था की जावेगी 5. सामान्य दुर्घटना में आपात उपचार।

कृपया पन्ना उलटिए

कार्यालय पर गम्भीर दुर्घटना अथवा शारीरिक क्षति -

- कार्यस्थल पर दुर्घटना से किसी मजदूर अथवा कार्यरत महिलाओं के बच्चों की शारीरिक क्षति होती है तो निःशुल्क उपचार होगा।
- अस्पताल में भर्ती होने के दिनों के लिए आधे दिन की मजदूरी दर के हिसाब से भुगतान किया जावेगा।
- कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत अथवा स्थायी रूप से विकलांग व्यक्ति के आश्रित को रु. 25,000 की सहायता प्रदान की जावेगी।

शिकायत प्रक्रिया -

- ग्राम पंचायत द्वारा योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित सभी शिकायतें कार्यक्रम अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी से की जाएगी।
- कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक शिकायत को रजिस्टर में दर्ज करेगा तथा विवादों व शिकायतों को प्राप्ति से 7 दिवस के भीतर निपटाएगा।
- ब्लॉक स्तर एवं जिला स्तर पर शिकायत दूर करने के लिए प्रक्रिया सुनिश्चित होगी।

ठेकेदारी व मशीनों पर पूर्ण प्रतिबन्ध

- योजना में कार्यों के सम्पादन के लिए ठेकेदार को अनुमति नहीं है।
- सभी कार्य शारीरिक श्रम का उपयोग करके ही पूरे किए जाएँगे मशीनों के उपयोग नहीं किए जायेंगे।

सामाजिक संपरीक्षा (सोशल ऑडिट) या जनता जाँच अपना पैसा-अपना हिसाब

- ग्राम पंचायत मस्टर रोल, वाउचर माप, पुस्तिकाएँ, स्वीकृति आदेश व अन्य सभी प्रकार के सम्बन्धित प्रश्न जनता जाँच के प्रयोजन के लिए ग्राम सभा को आवेदन करने के 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराएगी तथा ग्रामसभा नियमित सामाजिक संपरीक्षा करेगी।
- पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने के सभी उपाय किये जायेंगे। प्रत्येक कार्य के लिए बोर्ड लगाया जायेगा, जिस पर सभी सूचनायें अंकित होंगी।
- कार्यों से सम्बन्धित दस्तावेज जनता को छानबीन के लिए उपलब्ध कराए जायेंगे या निर्धारित फीस पर दस्तावेजों की प्रतिया उपलब्ध कराई जा सकेगीं।
- प्रत्येक कार्यो के मस्टर रोल की प्रतियां फीस भुगतान करने के पश्चात ग्राम पंचायत अथवा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
- सभी पंजीकृत मजदूरों की सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर लगाई जावेगी एवम् लोगों के निरीक्षण के लिए खुली रहेगी।

और अधिक जानकारी के लिए अपने ग्राम पंचायत अधिकारी या खण्ड विकास अधिकारी से सम्पर्क करें, कोई समस्या होने पर निम्न साथियों से सम्पर्क कर सकते हैं-

सम्पर्क : **उन्नाव-** अनिल मिश्रा (9956501581) **देवरिया-** केशव चन्द्र (9453460274) डॉ. जनार्दन सिंह 9793939850) रंजीत सिंह (9415638610), शिवचंद्र (9839693182) रामकिशोर (9651814390) व्यासमुनि मिश्रा (9918743102) **कुशीनगर-** उदयभान यादव (9935445489) संगीता मिश्रा (9918283951) दशरथ (9792320774) शैलेश (9838695316) अभय (9307751790) **गोरखपुर-** राजपाल मिश्रा (9475823701)। **महाराजगंज-** संजय कुमार (9918041058) । **बाराबंकी-** राजेश मौर्या (9793125579) । **कानपुर-** महेश (9838546900), शंकर सिंह (9956576907) , दीनदयाल (9936759914) के एम. यादव (9022247576) **लखनऊ-** अरूंधती धुरू (9415022772), एस. आर दारापुरी (941516845) चुन्नीलाल (9839422521) **हरदोई-** रामबाबू (945244454), भगवानदीन/मोहनलाल (9919823845), देवेश पटेल (9455037799)। **वाराणसी-** वल्लभाचार्य पाण्डेय (9415256848) नंदलाल मास्टर (9415300520) अजय पटेल (9935956075), अंजनी सिंह (9415812309), सुरेश राठौर (9839017693) मुकेश कुमार (9415870032) महेंद्र राठौर (9936473073) प्रदीप सिंह (9838948830) राजेश ((9335757317) राजकुमार (9452884152) हरीप्रसाद (9044692341)। **जौनपुर-** रमेश चंद्र यादव (9451714769) दौलत राम (9415315091), निसार अहमद (9415315484), **बलिया-** विजय भाई (9335341150), बलिराम (9450779325), **भदोही-** वंदना (9956128649)। **सीतापुर-** रिचा सिंह (9450462474), रेखा चौहान (9415256472) **मुरादाबाद-** प्रेम कुमार (9412839020)। **फतेहपुर, कौशाम्बी-** विक्रम सिंह (9839513128)। **मऊ-** अरविंद मूर्ति (9839835032) विनय (7453244095)। **चंदौली-** जयशंकर पाण्डेय (9918640500), सतीश (9415137508), डा.एस.पी.सिंह (9450245119) होशिला यादव (9794202242) संतोष (9451229244) कमलेश (9451588723) जितेन्द्र (9451392203) जय प्रकाश (9956359655) **गाजीपुर-** विश्वेश कुमार (9450243848) सावित्री बहन (9838214845)। **प्रतापगढ़-** रविंद्र मिश्र (9838882977) **गोण्डा** - कपिल देव (9792938391)। **मीरजापुर** - अजय (9935956075), संजय (9956695686) प्रदीप शुक्ला (9452939719), **सोनभद्र** - रोमा (9415233583)

आशा परिवार, जन आन्दोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (एन.ए.पी.एम.) एवं काम व भोजन का अधिकार अभियान उ0प्र0 द्वारा जनहित में जारी सम्पर्क पते :

1. आशा परिवार एवं जन आन्दोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (एन.ए.पी.एम.) ए-893, इन्दिरानगर, लखनऊ - 226016, मोबाइल - 941522772 (अरून्धती धुरू / डॉ0 संदीप पाण्डेय) फोन - 2347365 ई.मेल- ashaashram@yahoo.com
2. ''आश ट्रस्ट '', ग्राम- भन्दहांकला, पोस्ट- कैथी, वाराणसी- फोन- 2618201, 2618301, 9415256848 (वल्लभाचार्य)
3. www.righttofood.org, www.nrega.nic.in, www.ashaparivar.org
4. नरेगा हेल्प लाइन, ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 सरकार, 10वॉं तल, जवाहर भवन, लखनऊ - 1 फोन- 0522-2231017, 4055999, मो0- 9793230999, E-mail : crd-up@nic.in

विद्यालय प्रबन्ध समिति (SMC)

हर एक विद्यालय पर विद्यालय प्रबन्ध समिति गठित है जो विद्यालय स्तर पर व्यवस्था, गुणवत्ता एवं फंड की देख-रेख करती है।

विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन

- विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन सभी सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में किया जाएगा तथा हरेक 2 साल के बाद पुनर्गठन होगा।
- प्रबन्ध समिति में कुल 15 सदस्य होंगे जिसमें 11 सदस्य अभिभावक एवं संरक्षक होंगे। शेष 4 सदस्यों में प्रधानाध्यापक, पंचायत प्रतिनिधि, लेखपाल, ए.एन.एम. होंगे। सदस्यों में एक-एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा कमज़ोर वर्ग के माता-पिता व संरक्षक होंगे।
- सदस्यों का चयन खुली बैठक में आम सहमति से किया जायेगा। बैठक प्रधानाध्यापक द्वारा बुलायी जायेगी। प्रत्येक कक्षा से अभिभावक चुने जाएंगे। इसके लिए हाथ उठा कर मत लिया जाएगा। राय न बनने पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा फैसला किया जाएगा।
- प्रबन्ध समिति अपने माता-पिता सदस्यों में से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चयन करेगी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मे से एक का महिला होना अनिवार्य है।
- प्रबन्ध समिति विद्यालय के कार्य प्रणाली की देख-रेख करेगी। विद्यालय हेतु प्राप्त अनुदान स्कूल की बेहतरी के लिए खर्च हो इस बात की देख-रेख करेगी।
- विद्यालय के सभी कार्य समयानुसार ठीक से हो पाये इसके लिए समिति अपने सदस्यों में छोटे-छोटे कार्य समूह का गठन कर सकती है।

विद्यालय प्रबन्ध समिति के कार्य

- कानून के बारे में पड़ोस में रहने वाले समुदाय को बताना।
- यह सुनिश्चित करना कि अध्यापकगण विद्यालय में नियमित उपस्थित हों व समयनिष्ठा बनाये रखें।
- यह सुनिश्चित करना कि अध्यापकगण अभिभावकों कि नियमित बैठक कर बच्चों की उपस्थिति एवं सीख में प्रगति के बारे में उन्हें बताये।
- देख-रेख करना कि शिक्षकों पर जनगणना, चुनाव, आपदा राहत छोड़कर अन्य गैर शैक्षिक कार्य में भार न हों।
- 6-14 वर्ष के सभी बच्चों का नामांकन एवं लगातार उपस्थिति सुनिश्चित करना। बच्चों को बिना भेदभाव व भय के शिक्षा का हक न मिलने पर स्थानीय प्राधिकारी के जानकारी में लाना।
- निःशक्त बच्चों का नामांकन कराना तथा प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक इनकी सुविधाओ एवं भागीदारी की देखरेख करना।
- बच्चों को शिक्षा का हक न मिल पाने, नामांकन न हो पाने, तथा भय एवं दण्ड का माहौल होने पर स्थानीय प्राधिकारी (पंचायत) को बताना।
- मध्याह्न भोजन की नियमितता एवं गुणवत्ता का ध्यान रखना।
- विद्यालय मे कानून के मानक के अनुसार सुविधाएं एवं कार्य हो, इसकी देखरेख करना।
- प्राप्त धनराशि का लेखा अलग से रखा जाना। इस लेखा पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव का हस्ताक्षर होना।
- समिति विद्यालय की 3 साल की योजना बनाएगी। इसके लिए कक्षावार नामांकन का अनुमान लगायेगी। इसके अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिए अध्यापक एवं अन्य व्यवस्थाओं की आवश्यकता को रखा जायेगा। पाठ्य-पुस्तकों, स्कूल बाहर बच्चों के लिए, विशेष प्रशिक्षण की जरूरत आदि के लिए संसाधनो की जरूरत को भी योजना में शामिल किया जायेगा। विद्यालय विकास योजना का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्य के हस्ताक्षर के साथ सम्बंधित अधिकारियों के पास भेजना।

आप क्या कर सकते हैं?

- विद्यालय प्रबन्ध समिति को विद्यालय की व्यवस्था के प्रति सक्रिय करनें में सहायक हो सकते हैं।
- विद्यालय प्रबन्ध समिति के सभी सदस्यों का नाम विद्यालय की दीवार पर अंकित होना सुनिश्चित करा कर सभी की भागीदारी के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
- यदि किसी विद्यालय में कानून की अवहेलना हो रही हो तो निम्न पतों पर इसकी शिकायत कर सकते हैं :-

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	:	सम्बन्धित जिले का बेसिक कार्यालय
जिलाधिकारी	:	सम्बन्धित जिले का कलेक्ट्रेट ऑफिस
सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग	:	सचिव भवन, दूसरी मंज़िल, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226020
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग	:	5वीं मंज़िल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली-110001

सौजन्य से : ''आशा ट्रस्ट'', ग्राम-भन्दहांकला, पो.-कैथी, वाराणसी, फोन : 0542-2618201, 2618401, 9415256848
E-mail : ashakashi@gmail.com

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कानून

हमारे देश में एक बड़ा कानून आया है - बच्चों की शिक्षा का अधिकार कानून (RTE)

शिक्षा पाना हमारा अधिकार ! सरकार और स्कूल बनें जिम्मेदार !!

हमारे गावों - शहरों में पहले से ही स्कूल हैं और उनमें सरकार ने सुविधाएँ भी दी हुई हैं। लेकिन यह सभी बच्चों के लिए अच्छी और समान शिक्षा के लिए पूरी नही हैं। इसलिए अब अब बच्चों की शिक्षा का कानून बना है। इसके तहत सरकार की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों को स्कूल तक लाए और उन्हें पढ़ने-लिखने के लिए कोई कमी न छोड़े, जिससे सभी बच्चे कम से कम 8वीं तक की पढ़ाई ज़रूर पूरी कर सकें।

हमारे संविधान मे साफ कहा गया है कि इस देश में रहने वाले हर इंसान (बच्चे हों या बड़े) को शोषण मुक्त और स्वतंत्र जीवन जीने का हक है। ये हमारे मूलभूत अधिकार हैं। सन् 2009 में सरकार ने शिक्षा को जीवन की एक अहम ज़रूरत मानते हुए उसे अधिकार का दर्ज़ा दिया। अप्रैल 2010 में इस अधिकार को पूरा करने के लिए 'शिक्षा का अधिकार कानून' बना और पूरे देश में इसे लागू किया गया।

इस कानून के हिसाब से 6-14 साल तक की उम्र के हर एक बाच्चे का 1-8 वीं की प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आस-पास के स्कूल में निःशुल्क, यानि फ्री और अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार होगा। अनिवार्य का मतलब है कि सभी बच्चों को 1-8 वीं तक की पढ़ाई करना ज़रूरी होगा और इस पढ़ाई को कराने के लिए जो ज़रूरतें है उन्हें पूरा करना सरकार की ज़िम्मेदारी होगी।

बाल शिक्षा अधिकार कानून के मुख्य बिन्दु

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (हक)

- 6-14 साल के सभी बच्चों को अपने पास के सरकारी स्कूल से 1-8वीं तक की पूरी तरह से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लेने का हक यानि सरकारी स्कूल में किसी तरह की फीस नहीं लगेगी। फीस लेना गैर कानूनी है।
- स्कूल जा रहे सभी 6-14 साल के बच्चों, खासतौर पर वंचित और कमज़ोर समुदाय के बच्चों को फ्री किताबें, कापियाँ, पेंसिल इत्यादि और वर्दी पाने का हक।
- यदि कोई बच्चा दूसरे स्कूल या दूसरे राज्य में जाए तो किसी भी सरकारी स्कूल में बिना टी0सी0 या अन्य कागज़ के भी दाखिला पाने का हक। स्कूल छोड़ते समय जल्द से जल्द बिना किसी तरह की फीस लिए टी0सी0 देना स्कूल की ज़िम्मेदारी।
- 6-14 साल के जो बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे उन्हें उनकी उम्र के अनुसार कक्षा में दाखिला देना। अलग से पढ़ाई करवा के, यानि खास ट्रेनिंग के द्वारा कक्षा के स्तर पर लाना।

सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता-पिता की ज़िम्मेदारियाँ

- सभी बच्चों को समान रूप से और समानता के साथ पढ़ाई कराने का हक। यानि स्कूल में किसी भी तरह का भेदभाव और छुआछुत गैर कानूनी है।
- हर बच्चे के लिए प्राइमरी स्कूल एक किलोमीटर के अन्दर और जूनियर स्कूल 3 किलोमीटर के अन्दर होना जरूरी है। यदि स्कूल पहुचने में कोई बाधा हो जैसे नदी, नाले, खराब सड़क आदि को ठीक करवाना।
- प्रत्येक माता-पिता या संरक्षक की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वह आस-पास के विद्यालय में 6-14 साल के बच्चों को 1-8 वीं तक की शिक्षा के लिए दाखिला दिलाए या दाखिला कराए।

विद्यालयों व शिक्षकों की ज़िम्मेदारियाँ

- विद्यालय न किसी बच्चे को फेल कर सकते है, न स्कूल से निकाल सकते हैं और न ही किसी बच्चे को कभी दाखिला देने से मना कर सकते हैं।
- आयु प्रमाण पत्र के बिना भी दाखिला देना होगा। आयु प्रमाण-पत्र के लिए अस्पताल/ए.एन.एम./आंगनवाड़ी या माँ-बाप द्वारा दिया गया शपथ-पत्र भी चलेगा।
- किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की मारपीट या सज़ा के बिना खुशहाल वातावरण में पढ़ने का हक।
- हर 35-40 बच्चों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य। हर दिन कम से कम 4 घंटे की पढ़ाई और साल में कम से कम 220 दिन स्कूल में पढ़ाई होना ज़रूरी।
- स्कूल कार्यों के लिए एक स्कूल प्रबंधक समिति बनाने के ज़िम्मेदारी, जिसमें कम से कम तीन चौथाई माता-पिता व संरक्षक होंगे।

शिक्षा का अधिकार कानून की निगरानी

- इस कानून की एक खास बात है कि इसे लागू करने और इसमें दिए हर एक हक बच्चे को मिले। इसकी निगरानी की व्यवस्था भी कानून में ही की गई है। इसका मतलब है कि कानून यदि ठीक से लागू न हो या बच्चों को पूरे हक न मिलें तो कानून के ही अन्दर शिकायत की भी जगह बनाई गई है।
- सभी राज्यों में इस कानून की निगरानी की जिम्मेदारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को दी गई है। यह आयोग राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों में निगरानी कर रहा है। पर साथ ही हर राज्य में भी बाल अधिकार संरक्षण आयोग होना चाहिए जो कि हर अधिकार की निगरानी करे।